## Order Sheet [Contd] Case No 315/2017 बी.ए

	Case No 315	/ 2017 MI.Y
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
07-09-2017	आवेदक / अभियुक्त मिथलेश की ओर से श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अधीनस्थ जे एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) गोहद से प्र0क0 182 / 11 ई0फी0 शासन गोहद चौराहा वि० शिवसिंह आदि प्राप्त। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त मिथलेश की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी0 पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। अवेदक /अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में आगोपी था और नियमित रूप से पेशी पर उपस्थित हो रहा था, किन्तु उसके पिता के गंभीर बीमार हो जाने से उन्हें दिल्ली ले गया था और अपनी अनुपस्थिति की सूचना अधिवक्ता को भी नहीं दे पाया था जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.15 को आवेदक की जमानत जप्त कर दी गई। आवेदक दिनांक 04.09.17 को न्यायालय में समर्पण किया है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विक्त स्वार्ण करने बाहर चला गया था और उसके बाद मजदूरी करने बाहर चला गया था और इसी कारण वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था।  अवेदक / अभियुक्त के विक्त दिनांक 08.04.2011 से विचारण लंबित है। आवेदक / अभियुक्त के विक्त हुए सोवेदक / अभियुक्त के विक्त निर्मा प्रकरण में विचारण लंबित है। आवेदक विनांक 26.11.15 से लगातार अनुपस्थित रहा है जिससे प्रकरण में विचारण लंबित है। आवेदक विनांक विक्त हुए पावेदक / अभियुक्त की और से प्रस्तुत कारण होने की संमावना को दृष्टिगत को जमानत पर मुक्त किये जाने से उसके पुनः फरार होने की संमावना को दृष्टिगत खते हुए आवेदक / अभियुक्त की और से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्वेशत किया जाता है कि वह तीन माह में विचारण पूर्ण करे।  अवेदण की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस किया जावे।  (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) एएएस0जे० गोहद	
	30 3 10 17	